



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-49A/2015-412 दिनांक : 05/06/22

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल/पोड़ाहाट वन प्रमंडल/ कोल्हान वन प्रमंडल/ जमशेदपुर वन प्रमंडल/ चाईबासा वन प्रमंडल/ सरायकेला वन प्रमंडल/ लातेहार वन प्रमंडल/ गोड्डा वन प्रमंडल/ दुमका वन प्रमंडल/ साहेबगंज वन प्रमंडल/ पाकुड़ वन प्रमंडल/ जामताड़ा वन प्रमंडल/ राँची वन प्रमंडल/ गुमला वन प्रमंडल/ सिमडेगा वन प्रमंडल/ खूँटी वन प्रमंडल/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजन) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण तथा तसर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) हेतु कुल **₹ 68.280 लाख (अड़सठ लाख अठाईस हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-53/2015-59/स्वी0 व0प0 दिनांक 07.03.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-32/2020-03/आ0 व0प0 दिनांक 21.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **₹ 68.280 लाख (अड़सठ लाख अठाईस हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	68.280
कुल :-		68.280

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (घ) पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(Handwritten signature)

प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796580103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की

अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-49 A / 2015-412 दिनांक-05/06/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ पलामू/ दुमका/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ जमशेदपुर/ मेदिनीनगर/ दुमका/ देवघर/ राँची/ गुमला/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-49 A / 2015-05/06/21 दिनांक-

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावां/ लातेहार/ दुमका/ साहेबगंज/ गोड्डा/ पाकुड़/ जामताड़ा/ डोरण्डा, राँची/ खूंटी/ गुमला/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2272.71	0.00	2272.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	30	0.682	0.000	0.682
2	पोडाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	60	1.364	0.000	1.364
3	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	60	1.364	0.000	1.364
4	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	150	3.409	0.000	3.409
5	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	100	2.273	0.000	2.273
6	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	120	2.727	0.000	2.727
7	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	70	1.591	0.000	1.591
8	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	100	2.273	0.000	2.273
9	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	30	0.682	0.000	0.682
10	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	30	0.682	0.000	0.682
11	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	30	0.682	0.000	0.682
12	राँची वन प्रमंडल, राँची	100	2.273	0.000	2.273
13	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	60	1.364	0.000	1.364
14	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	120	2.727	0.000	2.727
15	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	114	2.591	0.000	2.591
16	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	120	2.727	0.000	2.727
17	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	120	2.727	0.000	2.727
18	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	120	2.727	0.000	2.727
19	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	120	2.727	0.000	2.727
20	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	120	2.727	0.000	2.727
21	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	120	2.727	0.000	2.727
योग :-		1894	43.046	0.000	43.046

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2272.71	0.00	2272.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	30	0.682	0.000	0.682
2	पोडाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	30	0.682	0.000	0.682
3	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	30	0.682	0.000	0.682
4	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	60	1.364	0.000	1.364
5	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	30	0.682	0.000	0.682
6	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	30	0.682	0.000	0.682
7	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	30	0.682	0.000	0.682
8	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	30	0.682	0.000	0.682
9	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	30	0.682	0.000	0.682
10	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	30	0.682	0.000	0.682
11	राँची वन प्रमंडल, राँची	30	0.682	0.000	0.682
12	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	30	0.682	0.000	0.682
14	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	30	0.682	0.000	0.682
15	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	30	0.682	0.000	0.682
16	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	30	0.682	0.000	0.682
17	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	30	0.682	0.000	0.682
18	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	60	1.364	0.000	1.364
योग :-		570	12.958	0.000	12.958

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2272.71	0.00	2272.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	60	1.364	0.000	1.364
2	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	60	1.364	0.000	1.364
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	30	0.682	0.000	0.682
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	60	1.364	0.000	1.364
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	30	0.682	0.000	0.682
6	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	30	0.682	0.000	0.682
7	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	60	1.364	0.000	1.364
8	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	60	1.364	0.000	1.364
योग :-		390	8.866	0.000	8.866

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत तसर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2272.71	0.00	2272.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	30	0.682	0.000	0.682
2	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	30	0.682	0.000	0.682
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	30	0.682	0.000	0.682
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	30	0.682	0.000	0.682
5	सरायकेला वन प्रमंडल	30	0.682	0.000	0.682
योग :-		150	3.410	0.000	3.410

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०)/ वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०)/ शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०)/ तसर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा	हे०	7.30	2272.71		2272.71	
योग :-			7.30	2272.71	0.00	2272.71	
(B)	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा	हे०	7.30	2272.71		2272.71	
योग :-			7.30	2272.71	0.00	2272.71	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-49/2015/412

दिनांक - 05-Jun-2021

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24805	SGHFOR011 CHANDRAMAULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS 03 - मजदूरी	68,200.00 रुपये अड़सठ हजार दो सौ
2	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24806	SGHFOR003 SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV. 03 - मजदूरी	204,600.00 रुपये दो लाख चार हजार छः सौ
3	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24808	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA 03 - मजदूरी	204,600.00 रुपये दो लाख चार हजार छः सौ

योग: रुपये चार लाख सित्त्वोत्तर हजार चार सौ
क्रमिक योग:

477,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

RAJENDRA PRASAD DEV, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सोस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24810	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	613,700.00 रुपये छः लाख तेरह हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24813	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 03 - मजदूरी	363,700.00 रुपये तीन लाख तीरसठ हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24815	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN 03 - मजदूरी	613,700.00 रुपये छः लाख तेरह हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये बीस लाख अडसठ हजार पाँच सौ

1,591,100.00

क्रमिक योग:

2,068,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24819	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	477,300.00 रुपये चार लाख सित्योत्तर हजार तीन सौ
8	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24821	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	227,300.00 रुपये दो लाख सत्ताइस हजार तीन सौ
9	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24825	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	500,100.00 रुपये पाँच लाख एक सौ

योग:

रुपये बत्तीस लाख तीहत्तर हजार दो सौ

1,204,700.00

क्रमिक योग:

3,273,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

Sd/- P.C.E. DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24827	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	136,400.00 रुपये एक लाख छत्तीस हजार चार सौ
11	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24828	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	136,400.00 रुपये एक लाख छत्तीस हजार चार सौ
12	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24830	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA 03 - मजदूरी	136,400.00 रुपये एक लाख छत्तीस हजार चार सौ

योग:

रुपये छत्तीस लाख बयासी हजार चार सौ

409,200.00

क्रमिक योग:

3,682,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. P.C.E. DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24831	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदूरी	295,500.00 रुपये दो लाख पिनचानवे हजार पैंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24832	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	204,600.00 रुपये दो लाख चार हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24834	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	340,900.00 रुपये तीन लाख चालीस हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये पैतालीस लाख तेइस हजार चार सौ

841,000.00

क्रमिक योग:

4,523,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24835	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	68,200.00 रुपये अड़सठ हजार दो सौ
17	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24837	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	327,300.00 रुपये तीन लाख सत्ताइस हजार तीन सौ
18	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	24839	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA 03 - मजदूरी	340,900.00 रुपये तीन लाख चालीस हजार नौ सौ

योग:

रुपये बावन लाख उनसठ हजार आठ सौ

736,400.00

क्रमिक योग:

5,259,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

SR ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24841	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदूरी	409,100.00 रुपये चार लाख नौ हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24843	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	409,100.00 रुपये चार लाख नौ हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24844	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 03 - मजदूरी	409,100.00 रुपये चार लाख नौ हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये चौसठ लाख सित्यासी हजार एक सौ

1,227,300.00

क्रमिक योग:

6,487,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179658010103	24845	DMKFOR003	340,900.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUSHIL SOREN (I.F.S)	रुपये तीन लाख चालीस हजार नौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना		D.F.O.S.F.DIVDUMKA	सौ
	58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		

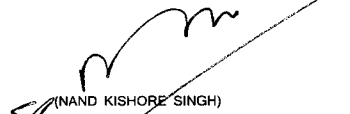
योग:

रुपये अडसठ लाख अठाइस हजार

340,900.00

क्रमिक योग:

6,828,000.00



(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. BCCE DEPT. JHARKHAND